

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: (पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 364 / 2013

संस्थित दिनांक-11 / 12 / 2013

शत्रुधन शर्मा, पुत्र रामदास शर्मा,  
35 साल, निवासी-ग्राम चंदोखर परगना गोहद,  
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थी / आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गौहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०)

---प्रत्यर्थी / अभियोगी

---

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री एम०एस० यादव अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री एस०के० तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-304 / 2010 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
12 / 11 / 13 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

---

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 19 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी शत्रुधन की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के० तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 304 / 2010 निर्णय दिनांक-12 / 11 / 13 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को आहतगण सुनीता, प्रहलाद एवं शांतिबाई एवं कल्पना के संबंध में क्रमशः धारा-337, 338 भा०दं०सं० के अपराध में क्रमशः तीन-तीन तथा छः-छः माह के सश्रम कारावास और चार-चार सौ तथा सात सात सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आहतगण एक ही परिवार के होकर आपस में रिश्तेदार हैं ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-30 / 5 / 2010 को शाम साढ़े 6 बजे ग्राम लोधे की पाली फरियादी

हेतसिंह पत्नी शांतिबाई व लडकी कल्पना एवं भाई की पत्नी सुनीता व भाई प्रहलाद चंदोखर से रामदास के स्वराज ट्रैक्टर में बैठकर ग्राम लोधे की पाली आ रहे थे, ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्राम लोधे की पाली के पास मोड़ पर पीपल के पास पलट दिया, जिससे सभी को चोटें आयी थी। जिसकी देहाती नालिसी थाना गोहद जिला भिण्ड में जाकर की, जिसपर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-89/2010 तहत प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 337 एवं 338 भा0दं0सं0 एवं धारा-146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-146/196 मोटरयान अधिनियम में दोषमुक्त किया गया एवं धारा धारा-337, 338 भा0दं0सं0 के अपराध में कमशः तीन-तीन तथा छः-छः माह के सश्रम कारावास और चार-चार सौ तथा सात सात सौ रूपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि घटना के संबंध, वाहन के प्रकार, रंग एवं रजिस्ट्रेशन के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों में काफी विरोधाभास है, पुलिस कथनों एवं न्यायालयीन कथनों में भी विरोधाभास आया है, एवं फरियादी की देहाती नालिसी व उसके कथन में भी विरोधाभास है । इन विरोधाभासों को नजर अंदाज कर मनमाने तरीके से साक्ष्य का विवेचन करके आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अ.सा.-2 सुनीता ने कथन में कहा है कि ट्रैक्टर रामदास का लडका जिसका उसे नाम याद नहीं है, चला रहा था एवं जेठ हेतसिंह के साथ शादी में नहीं जाना व मौके पर मौजूद नहीं होना बताते हुए हेतसिंह के द्वारा घटना देखने से इंकार किया है । उपरोक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास

पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

6. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 2010 का होने से चार वर्षों से अपीलार्थी अभियोजन का सामना कर रहा है, वह खेती किसानी करके अपना व परिवार का जीवनयापन करता है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है । जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि वर्तमान में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटों को देखते हुए अपीलार्थी/आरोपी को विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे ।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

#### —::— निष्कर्ष के आधार —::—

8. परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर आलोक शर्मा अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक-30/5/2010 को सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुए आहत सुनीता का मेडीकल करने पर जिसे कि थाना गोहद चौराहा के आरक्षक राजादांगी ने पेश किया था, सिर व दाहिने घुटने में चोटें पायी थीं एवं प्र.पी.-6 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना कहा तथा आहत शांतिबाई के मेडीकल परीक्षण में उसके दांयी आंख के ऊपर पलक पर व दाहिनी अग्र भुजा में फटा हुआ घाव होना पाया था व शांतिबाई के इनसाइजन दांत तथा केनाइन दांत नहीं थे, जिनमें से खून बहना पाते हुए

प्रदर्श पी.-7 की रिपोर्ट दी थी । चिकित्सक द्वारा आहत कल्पना के मेडीकल परीक्षण में उसके आगे के इन्साइजर दांत उपस्थित नहीं होना व उनके ढांचों में से खून बहना पाते हुए प्र.पी.-8 की रिपोर्ट तैयार की थी । तथा आहत प्रहलाद के मेडीकल परीक्षण में उसके बायें कूल्हे के ऊपर फटा घाव, बांये पैर में फटा घाव पाते हुए प्रदर्श पी.-9 की रिपोर्ट तैयार की जाना बताया है ।

9. डाक्टर जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि घटना दिनांक-30/5/2010 को आहत शांतिबाई और कल्पना को गंभीर एवं साधारण चोटें और शेष आहतगण प्रहलाद व सुनीता को साधारण उपहतियां आयी हैं । डाक्टर ने यह अभिमत दिया है कि भारी वाहन से दबने से उक्त चोटें नहीं आ सकती है । इस मामले में जो घटना बतायी है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली लोधी की पाली मोड पर पीपल के पेड के पास पलट गयी है और वहीं कुंआ था, वहां गिर जाना बताया है, ऐसे में चोट दुर्घटनात्मक स्वरूप की होना चिकित्सीय अभिसाक्ष्य से परिलक्षित होता है ।

10. आहतगण सुनीता, शांतिबाई, प्रहलाद एवं सुनीता ने अभिसाक्ष्य दिया है कि ट्रैक्टर रामदास का होना बताया है, और शत्रुहन ट्रैक्टर चालक को बताया है । हालांकि सुनीता अभियोजन साक्षी क्र.-1 ने अपने कथन में अपने जेठ के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर ट्रैक्टर के मालिक व चालक के बारे में बताया है, उसे स्वयं पता नहीं था और उसके जेठ ने घटना के 15 दिन बाद बताया था । किन्तु उससे संपूर्ण अभिसाक्ष्य अग्राह्य नहीं किया जा सकता है । क्योंकि अन्य आहत शांतिबाई अ.सा.-3, प्रहलाद अ.सा.-4, कल्पना अ.सा.-5 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में अपीलार्थी/आरोपी द्वारा ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही से चलाना और उसे पलटा देना बताया है । आहतगण ने ट्रैक्टर पलटने से चोटें आना भी बताया है और मौके के साक्षी हेतसिंह अ.सा.-2 ने भी स्पष्ट अभिसाक्ष्य दी है, जिससे ट्रैक्टर क्रमांक-यू.पी.-75-9232 स्वराज को घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा चलाया जाना, ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी होना और उसमें आहतगण का बैठा होना तथा लोधे की पाली के मोड पर पीपल के पेड के पास ट्रैक्टर ट्रॉली का पलटना बताया है, जिससे उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर जिसे विवेचना के दौरान प्रदर्श पी.-12 के जप्ती पत्रक मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी से ही जप्त किया गया था, उससे ही दुर्घटना होना प्रमाणित होती है । चूंकि घटनास्थल मोड था, ऐसे में चालक को

अत्यंत सावधानी के नियम का पालन करना चाहिये था, जो कि उसने नहीं किया, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना घटी । आरोपी की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है, किन्तु फरियादी से उसकी किसी प्रकार की रंजिश है, इस बारे में वह मौन है, इसलिये रंजिश का लिया गया बिन्दु औपचारिक ही माना जावेगा ।

11. प्रकरण का विवेचक एस.आई. बी.एल. बंसल अ.सा.-7 ने अपनी अभिसाक्ष्य में कहा है कि 30/5/2010 को थाना गोहद चौराहा पर ए.एस. आई. के पद पर रहते अस्पताल गोहद में फरियादी हेतसिंह द्वारा देहाती नालिसी पर ट्रैक्टर स्वराज 735 नीले रंग के चालक द्वारा ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही से चलाया जाना बताते हुए उसे पलटकर उसकी पत्नी शंतिदेवी, लडकी कल्पना एवं भाई प्रहलाद व उसकी पत्नी सुनीता को चोटें आने की सूचना दी थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा देहाती नालिसी प्रदर्श पी.-3 लेख की थी, उसके पश्चात उसने आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया । विवेचना में अगले दिन घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.-4 फरियादी की निशादेही में बताते हुए उक्त दिनांक को ही हेतसिंह, शांतिबाई, प्रहलाद, कल्पना व सुनीता के कथन उनके बताये अनुसार लेख करने की अभिसाक्ष्य दी है । उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उससे ट्रैक्टर, ट्रॉली जप्त कर प्रदर्श पी-11 व 12 के पत्रक तैयार करना बताया है । उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अपनी विवेचना को प्रमाणित किया है । जहां तक बचाव पक्ष का लिया गया आधार है कि रंजिशन या क्लेम पाने के लिए झूठा मामला बनवाया है, इस बाबत अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, न ही अभियोजन की आयी साक्ष्य से ऐसा प्रकट नहीं होता है । ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी की धारा-279, 337, 338 भा0दं0सं0 के तहत आलोच्य निर्णय द्वारा की गयी दोषसिद्धि विधि एवं तथ्य पर आधारित होकर पुष्टि योग्य है और दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दांडिक अपील स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है ।

12. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का ऐसा तर्क रहा है कि घटना वर्ष 2010 की है, ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के रास्ते सही नहीं होते हैं, अनेक बार सावधानी के बावजूद दुर्घटनाएं हो जाती है । आरोपी/अपीलार्थी युवक है और गृहस्थ व्यक्ति है

तथा प्रथम अपराधी है, शांतिप्रिय नागरिक है, जेल जाने से उसपर व उसके परिवार पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ेगा । आहतगण की चोटें मार्मिक अंगों पर नहीं है, इसलिये उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जावे, जबकि विद्वान ए.जी.पी. ने कठे दण्ड की मांग की है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आये ।

13. अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थी के पूर्व की दोषसिद्धी का कोई प्रमाण न होने से उसका प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है । विद्वान निम्न न्यायालय ने धारा-71 भा0दं0सं0 के उपबंध का अनुसरण करते हुए गुरुत्तर अपराध धारा-337 और 338 भा0दं0सं0 में दण्डाज्ञा दी है । आहत सुनीता और प्रहलाद को जिन्हें साधारण उपहतियां आयीं, उनके लिए तीन-तीन माह का सश्रम कारावास और चार-चार सौ रुपये अर्थदण्ड तथा आहतगण शांतीबाई और कल्पना जिन्हें गंभीर उपहतियां आयीं, उनके संबंध में 6-6 माह का सश्रम कारावास और सात-सात सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है । आहतगण एक ही परिवार के हैं, कथानक मुताबिक वे विवाह समारोह से लौट रहे थे तो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ गये । घटना को करीब चार वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और विचारण में आरोपी/अपीलार्थी ने उपस्थित रहकर अभियोजन का सामना किया, जिसे देखते हुए आरोपी/अपीलार्थी को कारावास की दण्डाज्ञा के बजाये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित व न्याय संगत होगा और उससे विधि की मंशा भी पूर्ण होती है । अतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर धारा-337 भा0दं0सं0 में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड में अभिवृद्धि कर आहत सुनीता एवं प्रहलाद की चोटों के संबंध में धारा-337 भा0दं0सं0 में **पांच-पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, तथा धारा-338 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए आहतगण शांतिबाई एवं कल्पना के संबंध में किए गये 6-6 माह के सश्रम कारावास को अपास्त करते हुए उसके स्थान पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में जमा क्रमशः चार-चार सौ रुपये एवं सात-सात सौ रुपये अर्थदण्ड उक्त अर्थदण्ड में समायोजित किया जावे । अर्थदण्ड जमा न करने पर धारा-337 भा0दं0सं0 में एक-एक माह एवं धारा-338 भा0दं0सं0 में 2-2 माह का बारी बारी से साधारण कारावास भुगताया जावे ।

14. धारा-357(3) द.प्र.सं. के तहत आहतगण सुनीता पत्नी इन्द्रजीत, उम्र-23 साल, निवासी कनीपुरा थाना गोहद चौराहा एवं प्रहलाद पिता प्रीतम सिंह, उम्र-40 साल को पांच-पांच सौ रुपये एवं आहतगण शांतिबाई पत्नी हेतसिंह, उम्र-38 साल, निवासी ग्राम कनीपुरा एवं कल्पना पिता हेतसिंह उम्र-19 साल निवासी ग्राम कनीपुरा को एक-एक हजार रुपये प्रत्येक से बतौर क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में जमा करे, जिसके पालन हेतु अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही करें ।

15. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये गये ।

16. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर पूर्व से सुपुर्दगी पर होने से अपील/निगरानी अवधि पश्चात सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलार्थी/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो ।

दिनांक: 19 जून 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

